न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/39/2025	2025/55	04.03.2025	11.02.2026

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1.ईशर खान पुत्र श्री चन्दर खान जाति मेव निवासी ग्राम नंगला धन सिंह तसई तहसील कठूमर जिला अलवर।
2.इस्लाम खान पुत्र श्री चन्दर खान जाति मेव निवासी ग्राम नंगला धन सिंह तसई तहसील कठूमर जिला अलवर।
3.आसिफ पुत्र श्री चन्दर खान जाति मेव निवासी ग्राम नंगला धन सिंह तसई तहसील कठूमर जिला अलवर।
4.शरीफ खान पुत्र श्री चन्दर खान जाति मेव निवासी ग्राम नंगला धन सिंह तसई तहसील कठूमर जिला अलवर।
5.सुफेदी पत्नी श्री चन्दर खान जाति मेव निवासी ग्राम नंगला धन सिंह तसई तहसील कठूमर जिला अलवर।
6.राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा तसई तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान जर्ये शाखा प्रबन्धक, राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा तसई तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान।

—अप्रार्थी

रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955।

उपस्थितः—
01. राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी
02. श्री सतीश चन्द जैन —वकील अप्रार्थी 01 लगा0 05

—:: निर्णय ::—

रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार पेश हैं कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2002 ग्राम तसई तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 452/6 रकबा 19 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन पोखर वाकै ग्राम तसई तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। जिसकी प्रति सलंग्न कर माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं। उपरोक्त आराजी की बाबत सम्वत 2028 में बने मिलान क्षेत्रफल में उपरोक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 538 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा यानि 1.09 हैक्टेयर (जिसमें आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 452 मिन का रकबा 04 बीघा, खसरा नम्बर 453 मिन का रकबा 04 बिस्वा व खसरा नम्बर 445 मिन का रकबा 02 बिस्वा शामिल है) वाकै ग्राम तसई तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान कायम हुए। राजस्व कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त आराजी के नएं कायम हुए खसरा नम्बर हाल खसरा नम्बर 538 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा यानि 1.09 हैक्टेयर (जिसमें आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 452 मिन का रकबा 04 बीघा, खसरा नम्बर 453 मिन का रकबा 04 बिस्वा व खसरा नम्बर 445 मिन का रकबा 02 बिस्वा शामिल है) वाकै ग्राम नंगला धनसिंह तसई तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान की किस्म को गैर मुमकिन पोखर के स्थान पर डहरी सोयम जमाबन्दी सम्वत 2070—2073 के खाता संख्या 16 में दर्ज करते हुए राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 01 लागायत 05 के नाम से दर्ज कर दिया गया। जिसकी प्रति सलंग्न कर माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। यहाँ यह उल्लेखित करना उचित होगा कि उपरोक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 6 के यहाँ रहन है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 538 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा यानि 1. 09 हैक्टेयर (जिसमें आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 452 मिन का रकबा 04 बीघा, खसरा नम्बर 453 मिन का रकबा 04 बिस्वा व खसरा नम्बर 445 मिन का रकबा 02 बिस्वा शामिल है) वाकै ग्राम नंगला धनसिंह तसई तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान में शामिल साबिक खसरा नम्बर 452/6 रकबा 19 बिस्वा की किस्म गैर मुमकिन पोखर होने से प्रतिबन्धित श्रेणी की किस्म की आराजी है। उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 538 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा यानि 1.09 हैक्टेयर (जिसमें आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 452 मिन का रकबा 04 बीघा, खसरा नम्बर 453 मिन का रकबा 04 बिस्वा व खसरा नम्बर 445 मिन का रकबा 02 बिस्वा शामिल है) वाकै ग्राम नंगला धनसिंह तसई तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान में शामिल साबिक खसरा नम्बर 452/6 रकबा 19 बिस्वा की किस्म गैर मुमकिन पोखर होने से उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में प्राविधित अनुसार प्रतिबन्धित श्रेणी की किस्म की भूमि होने से राजस्व कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 538 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा यानि 1.09 हैक्टेयर (जिसमें आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 452 मिन का रकबा 04 बीघा, खसरा नम्बर 453 मिन का रकबा 04 बिस्वा व खसरा नम्बर 445 मिन का रकबा 02 बिस्वा शामिल है) वाकै ग्राम नंगला धनसिंह तसई तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान में शामिल साबिक खसरा नम्बर 452/6 रकबा 19 बिस्वा की किस्म गैर मुमकिन पोखर के स्थान पर डहरी सोयम दर्ज किए जाने तथा उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 538 रकबा 15 बिस्वा यानि 0.19 हैक्टेयर (जिसमें आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 452 मिन का रकबा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर 453 मिन का रकबा 12 बिस्वा शामिल है) वाकै ग्राम नंगला धनसिंह तसई तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान में शामिल साबिक खसरा नम्बर 452/6 के 19 बिस्वा रकबा को अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज किएं जाने का कृत्य विधि संगत नहीं होने के कारण निरस्तनीय है। प्रार्थी द्वारा अनेंको बार अप्रार्थीगण से उक्त इन्द्राज को निरस्त कराने की बाबत अनेंको बार निवेदन किया जा चुका है, लेकिन अप्रार्थीगण काफी खूंखार, मुंहजोर व लडाकू किस्म के व्यक्ति है, जिनके द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए उनके नाम के अंकन को दुरूस्त कराने से कतई तौर पर इन्कार कर दिया गया तथा एलानिया तौर पर यह धमकी दी गई है कि वे आराजी खसरा नम्बर 538 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा यानि 1.09 हैक्टेयर (जिसमें आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 452 मिन का रकबा 04 बीघा, खसरा नम्बर 453 मिन का रकबा 04 बिस्वा व खसरा नम्बर 445 मिन का रकबा 02 बिस्वा शामिल है) वाकै ग्राम नंगला धनसिंह तसई तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान में शामिल साबिक खसरा नम्बर 452/6 रकबा 19 बिस्वा की बाबत राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए अपने नाम के अंकन को नहीं हटवाएंगे।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत नदी, पोखर, नाला, जोहड आदि की भूमि की बाबत किसी भी दीगर व्यक्ति को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत नदी, नाला जोहडा, पोखर आदि की भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को किसी भी तरीके से हस्तान्तरित/अन्तरित नहीं किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत नदी, नाला, जोहड, पोखर आदि की भूमि की बाबत किसी दीगर व्यक्ति को खातेदार घोषित नही किया जा सकता है। अतः रैफरेन्स आवेदन माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 ग्राम नंगला धनसिंह तसई तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान के खाता संख्या 16 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 538 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा यानि 1.09 हैक्टेयर (जिसमें आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 452 मिन का रकबा 04 बीघा, खसरा नम्बर 453 मिन का रकबा 04 बिस्वा व खसरा नम्बर 445 मिन का रकबा 02 बिस्वा शामिल है) वाकै ग्राम नंगला धनसिंह तसई तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान में शामिल साबिक खसरा नम्बर 452/6 रकबा 19 बिस्वा के बाबत अप्रार्थीगण के नाम के दर्ज अंकन को, उपरोक्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 452/6 के शामिल रकबा 19 बिस्वा की किस्म गैर मुमकिन पोखर होने से, उपरोक्त आराजी के प्रतिबंधित श्रेणी की किस्म की आराजी होने से) कलमजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड को उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 538 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा यानि 1. 09 हैक्टेयर (जिसमें आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 452 मिन का रकबा 04 बीघा, खसरा नम्बर 453 मिन का रकबा 04 बिस्वा व खसरा नम्बर 445 मिन का रकबा 02 बिस्वा शामिल है) वाकै ग्राम नंगला

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

धनसिंह तसई तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान में शामिल साबिक खसरा नम्बर 452/6 रकबा 19 बिस्वा हैक्टेयर की किस्म को गैर मुमकिन पोखर करवाते हुए राजस्व रिकार्ड में राज्य सरकार के नाम दर्ज करवाएं जाने की आज्ञा सादिर फरमाने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित।

अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 05 की ओर से जवाब पेश किया गया है जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं कि जिमन नम्बर 1 गलत है अस्वीकार है। उक्त विवादित आराजी अप्रार्थीगण के दादा व ससुर अमर सिंह की तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो विरासत में हम अप्रार्थीगण को प्राप्त हुई है उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण के दादा व ससुर अमर सिंह जब तक जीवित रहे उक्त विवादित आराजी पर काबिज रह कर काश्त करते रहे। उनके स्वर्गवास के बाद उसके पांचों पुत्र शमशेर, दल खां, चन्दर खां, शेर खां, समद खां को उक्त विवादित आराजी विरासत में प्राप्त हुई है अप्रार्थीगण के परिवारजन सामलात में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे। राजस्व कर्मचारियों व सेटलमेंट के कर्मचारियों ने बिना किसी हक व अधिकार के व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से विवादित आराजी को कस्टोडियन की भूमि कागजात में दर्ज कर दिया जबकि अधीनस्थ कर्मचारियों को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से पूर्व इंद्राज को बदलने का किसी किस्म का कोई हक व अधिकार नहीं था। अप्रार्थीगण ने व उनके परिवारजन ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर में एक राजस्व वाद संख्या 1/195/2005 इस्तकरार हक तकसीम वो हुक्मइंतनाई दवामी उक्त विवादित आराजी व अन्य आराजीयात के खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर हाल 621 रकवा 18 विस्वा 748/3368 रकवा 5 विस्वा 448 रकवा 2 बीघा 4 विस्वा 451 रकवा 1 बीघा 11 विस्वा 457 रकवा 1 बीघा 7 विस्वा 458 रकवा 2 बीघा 4 विस्वा 465 रकवा 2 बीघा 9 विस्वा 479 रकवा 11 विस्वा 481 रकवा 3बीघा 5 विस्वा 506 रकवा 1 बीघा 18 विस्वा 514 रकवा 3 बीघा 17 विस्वा 523 रकवा 2 बीघा 14 बिस्वा 526 रकवा 2 बीघा 19 विस्वा 528 रकवा 3 बीघा 13 विस्वा 529 रकवा 2 बीघा 15 बिस्वा 535 रकवा 4 बीघा 1 विस्वा 537/3367 रकवा 4 बीघा 13 विस्वा 538/3366 रकवा 17 विस्वा 607 रकवा 2 बीघा 12 विस्वा 637 रकवा 1 बीघा 10 बिस्वा 676 रकवा 3 बीघा 14 विस्वा 679 रकवा 2 बीघा 13 विस्वा 511 रकवा 6 बीघा 12 विस्वा 545 रकवा 1 बीघा 14 विस्वा 537 रकवा 2 बीघा 11 विस्वा 461 रकवा 2 बीघा 4 विस्वा 460 रकवा 18 विस्वा 700 रकवा 5 विस्वा 625 रकवा 1 बीघा 18 विस्वा 510 रकवा 3 बीघा 10 विस्वा 687 रकवा 5 बीघा 15 विस्वा 688 रकवा 3 बीघा 18 विस्वा 536 रकवा 4 बीघा 7 विस्वा 588 रकवा 13 विस्वा 601 रकवा 2 बीघा 13 विस्वा 538 रकवा 4 बीघा 6 बिस्वा 548 रकवा 3 बीघा 4 विस्वा 623 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा 586 रकवा 15 विस्वा 183/3385 रकवा 2 बीघा 414 रकवा 3 बीघा, 157 रकवा 4 बीघा 11 विस्वा 159 रकवा 1 बीघा 5 विस्वा 160 रकवा 3 बीघा 15 विस्वा 438 रकवा 2 बीघा 18 विस्वा 436 रकवा 10 विस्वा 168 रकवा 2 बीघा 11 विस्वा 183 रकवा 4 बीघा 4 विस्वा 589 रकवा 1 बीघा 2 विस्वा 699 रकवा 10 विस्वा 748/3368 रकवा 1 बीघा 2 विस्वा वाके ग्राम तसई ए तहसील कठूमर में स्थित है, तथा खसरा नम्बर 537 का सावित खसरा नम्बर 451 रकवा 2 बीघा 4 विस्वा 492 रकवा 7 बिस्वा, ख. न. 545 रकवा 1 बीघा 14 बिस्वा जिसके सावित खसरा नम्बर 457 रकवा 1 बीघा 12 बिस्वा 458 मिन रकवा 2 विस्वा खसरा नंबर हाल 548 रवा 3 बीघा 4 विस्वा जिसके सावित खसरा नम्बर 460 रकवा 3 बीघा 4 विस्वा खसरा नम्बर 623 रकवा 3 बीघा 2 बिस्वा जिसके सावित खसरा नम्बर 509 रकवा 1 विस्वा 510 रकवा 3 बीघा 1 विस्वा 183 रकवा 4 बीघा 4 विस्वा जिसके सावित खसरा नम्बर 151 रकवा 4 बीघा 4 विस्वा खसरा नम्बर हाल 538 रकवा 4 बीघा 6 बिस्वा जिसके सावित खसरा नम्बर 446 रकवा 2 बिस्वा 452 रकवा 4 बीघा 453 रकवा 3 विस्वा है व आ० खसरा नंबर 168 रकवा 2 बीघा 11 बिस्वा जिसके सावित खसरा नम्बर 142 रकवा 2 बीघा 11 विस्वा, खसरा नम्बर 688 रकवा 3 बीघा 18 बिस्वा जिसके सावित खसरा नम्बर 565 रकवा 3 बीघा 18 विस्वा खसरा नम्बर 687 रकवा 5 बीघा 15 विस्वा जिसके सा. ख. न. 564 रकवा 13 विस्वा 565 रकवा 5 बीघा 2 विस्वा है। व खसरा नम्बर 588/3347 रकवा 14 विस्वा जिसके सावित खसरा नम्बर 585 रकवा 14 विस्वा है व खसरा नंबर 699 रकवा 10 विस्वा जिसके सावित खसरा नम्बर 569 मिन रकवा 10 विस्वा है। का दावा पेश किया था जो दावा अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण परिवारजन के पक्ष में 1/5 –1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। तथा कागजात माल में हो रहे कस्टेडियन गैर खातेदार तथा नॉन अलोटी शब्द को कलमजन के आदेश दिए गए थे। मुताबिक डिक्री अप्रार्थीगण के बंटवारे में विवादित आराजी अपने हिस्से में आई थी तभी से अप्रार्थीगण के नाम विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज चली आ रही है। पक्षकार नम्बर 3 व पक्षकार नम्बर 4 एक ही

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

व्यक्ति है जिसका पूरा नाम आसिफ शरीफ खान है। जिमन नम्बर 2 का राजस्व रिकॉर्ड से मिलान प्रार्थी स्वयं साबित करे। जिमन नम्बर 3 गलत है अस्वीकार है। जमाबंदी संवत् 2070–2073 के खाता संख्या 16 में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 का नाम सही दर्ज है। जिमन नम्बर 4 गलत है अस्वीकार है। वाके ग्राम नंगला धनसिंह तसई तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान में शामिल साबिक खसरा नम्बर 452/6 रकबा 19 बिस्वा की किस्म गैर मुमकिन पोखर होने से प्रतिबंधित श्रेणी की किस्म की आराजी नहीं है। अप्रार्थी गण की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी है।

जिमन नम्बर 5 गलत है अस्वीकार है। वाके ग्राम नंगला धनसिंह तसई तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान में शामिल साबिक खसरा नम्बर 452/6 के 19 बिस्वा रकबा को अप्रार्थी गण के कब्जे काश्त खातेदारी होने के कारण निरस्तानीयन नहीं है। जिमन नम्बर 6 गलत है अस्वीकार है। अप्रार्थीगण खूंखार, मुंहजोर व लडाकू किस्म के व्यक्ति नहीं है। जबकि अप्रार्थीगण पढ़े लिखे व काश्त कार पेशा व्यक्ति हैं अप्रार्थीगण ने किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी। जिमन नम्बर 7 गलत है अस्वीकार है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत नदी, पोखर, नाला, जोहड आदि की भूमि नहीं है। अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिमन नम्बर 8 गलत है अस्वीकार है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत नदी, पोखर, नाला, जोहड आदि की भूमि नहीं है। अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिमन नम्बर 9 गलत है अस्वीकार है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत नदी, पोखर, नाला, जोहड आदि की भूमि नहीं है। अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किये कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि जहां भूमि का स्वरूप अर्थात मौके पर किसी प्रकार की वॉटर बाडी नही हो, वहां अब्दुल रहमान का निर्णय ऐसी भूमि पर लागू नहीं होंगे और यदि किसी पक्ष के पक्ष में दावा डिक्री हो चुका है और तहसीलदार(सरकार) ने उस पर निर्धारित समय में अपील नहीं की है तो बाद में टीनेन्सी एक्ट की धारा 232 के तहत रेफरेंस स्वीकार योग्य नहीं किया जा सकता। यदि कोई डिक्री मेरिट (गुण–दोष) के आधार पर पारित की गई है तो वह दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगी व अंतिम मानी जाएगी। चूंकि प्रार्थी/तहसीलदार कठूमर, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर में वाद संख्या 1/195/2005 में स्वयं पक्षकार था तथा उसमें समय रहते कोई अपील नहीं की इसलिए वह इस रेफरेंस के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की ओर से पेश रेफरेंस अंतर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज फरमाया जाए। वकील अप्रार्थी द्वारा अपने जबाव के समर्थन में उच्चतर न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं जो निम्न प्रकार हैः–2024(1) आरआरटी 359, आरबीजे (30) 2023 पेज 510, स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम अमरसिंह, .रामलाल बनाम राजस्थान राज्य, .आरआरटी 2014 पार्ट 2 पेज 1004।

उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य/रिकॉर्ड एवं बहस का अवलोकन किया गया। रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रार्थी (तहसीलदार) द्वारा धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का मुख्य तर्क यह है कि ग्राम नंगला धनसिंह (तसई), तहसील कठूमर स्थित आराजी खसरा नं. 538 (कुल रकबा 1.09 हेक्टेयर) में शामिल साबिक खसरा नं. 452/6 (रकबा 19 बिस्वा) की किस्म मूल रूप से 'गैर मुमकिन पोखर' थी। प्रार्थी के अनुसार, बंदोबस्त (Settlement) के दौरान या बाद में इसे त्रुटिवश 'डहरी सोयम' दर्ज कर अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के विरुद्ध है। अतः इस इन्द्राज को निरस्त कर भूमि को पुनः 'गैर मुमकिन पोखर' दर्ज करने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थीगण (संख्या 01 से 05) की ओर से जवाब प्रस्तुत कर रेफरेंस का विरोध किया गया। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित भूमि उनकी पुश्तैनी (दादा/ससुर अमर सिंह के समय से) काश्तकारी की भूमि है। उन्होंने न्यायालय के समक्ष यह तथ्य रखा कि उक्त भूमि के बाबत पूर्व में ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कठूमर के समक्ष राजस्व वाद संख्या 1/195/2005 (इस्तकरार हक तकसीम व हुक्मइंतनाई) प्रस्तुत किया गया था। उक्त सक्षम न्यायालय द्वारा गुण–दोष के आधार पर निर्णय पारित कर अप्रार्थीगण को

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

खातेदार घोषित किया गया है और 'कस्टोडियन/गैर खातेदार' शब्दों को हटाने का आदेश दिया गया था। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि उसी डिक्री की पालना में है।

वकील उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण के निस्तारण हेतु मुख्य विचारणीय बिंदु यह है कि क्या विवादित खसरा नंबर के राजस्व इन्द्राज में कोई ऐसी त्रुटि है जिसे धारा 82 के तहत सुधारा जाना अपेक्षित है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर में पूर्व में विचाराधीन वाद में प्रार्थी तहसीलदार भी पक्षकार थे किन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित डिक्री की अपील किसी न्यायालय में नहीं की और न ही ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय हाजा में पेश किया है क्यूंकि राजस्व मण्डल के सिद्धांतो के अनुसार यदि किसी सक्षम न्यायालय जैसे तहसीलदार या एसडीएम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर डिक्री दे दी है और सरकार ने उस पर समय रहते अपील नहीं की तो वह डिक्री अंतिम मानी जाएगी ऐसे तथ्य पत्रावली में आये हैं। अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में जो खातेदारी दर्ज है, वह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कठूमर के निर्णय व डिक्री दिनांक (वाद संख्या 1/195/2005 के निर्णय दिनांक 07.10.2005) के आधार पर की गई है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में स्पष्ट किया गया है कि सक्षम न्यायालय द्वारा खसरा नंबर 538 (जिसमें विवादित पुराना खसरा 452/6 शामिल बताया गया है) के संबंध में दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई के बाद उन्हें 1/5 – 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है। प्रार्थी (सरकार) की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह साबित करे कि उपखण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय को किसी उच्च अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त या स्थगित किया गया है। कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जब किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी भूमि के अधिकारों का निर्धारण कर दिया गया हो और वह निर्णय अंतिम हो चुका हो, तो मात्र प्रशासनिक सुधार या रेफरेंस के माध्यम से उस न्यायिक निर्णय को पलटा नहीं जाना चाहिए। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकन किसी लिपिकीय त्रुटि का परिणाम न होकर एक न्यायिक आदेश की पालना है। धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम का उद्देश्य रिकॉर्ड की त्रुटियों को सुधारना है, न कि सक्षम न्यायालय की डिक्री के बाद उत्पन्न अधिकारों को चुनौती देना, जिसके लिए अपील/पुनरीक्षण का अलग प्रावधान मौजूद है। चूंकि विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का स्वत्व व अधिकार सक्षम न्यायालय के निर्णय वाद संख्या 1/195/2005 द्वारा पहले ही निर्णित हो चुका है और प्रार्थी/तहसीलदार, न्याायलय उपखण्ड अधिकारी कठूमर में विचाराधीन वाद में पक्षकार था फिर भी उसने आज दिनांक तक उस आदेश की की अपील किसी उच्चतर न्यायालय में नहीं की अतः प्रार्थी (तहसीलदार) द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेंस स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि० प्रशासन (द्वितीय) अलवर
राजस्थान
सरकार